

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (वाणिज्य/इतिहास) को राज्य सेवामें/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवाधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिलाशिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र स	नाम व्याख्याता मय पदस्थापनस्थान (राजमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथमनियुक्ति तिथि मय पद	व्या. मेंचयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी/वे तनमान	वेतनबेण्ड/ पे मैट्रिक्स	स्वीकृत वेतन/ पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सत्यनारायण तिवारी, भवानीमण्डी-झालावाड	इतिहास	02.01.1961	22.01.1991 अ.	डीपीसी	III एसीपी 30 वर्षीय	पे मैट्रिक्स	L-13	22-01-2021
2	रामसिंह पुरोहित, सीबीईओ कार्यालय-पाली	इतिहास	11.08.1960	12.10.1989 व.अ.	डीपीसी	III एसीपी 30 वर्षीय	पे मैट्रिक्स	L-14	12-10-2019

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सीरम स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविर-मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एसीपी/2021

दिनांक :- 23.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 01-संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा.....
- 02-संबंधित जिलाशिक्षा अधिकारी (मा0-1/II).....
- 03-सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
- 04-संबंधित संस्था प्रधान राजमावि
- 05-संबंधित कार्मिक
- 06-निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर